कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्र सख्याः म–27 / सीएफओ / जीबीएन–16(1)/2093

सेवा मे, दिनाक 27–08–2016

मुख्य वास्तुविद नियोजक
नोएडा प्राधिकरण सेक्टर–6
गौतमबुद्धनगर

विषयः मैसर्स एम्स आर0जी0एन्जल प्रमोटर्स प्रा0लि0 भवन द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–03,सैक्टर–75,नोएडा,जनपद–गौतमबुद्धनगर मे निर्मित आवासीय अपार्टमेन्ट भवन के टावर न0–03,04,05 की कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत किया जाना। यूआईडीन0–2016 / 23953 / जीबीएन / गौतमबुद्धनगर / 5691 /

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा प्रश्नगत भवन के निर्माण हेतु मानचित्र संलग्न कर कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के अनुपालन मे प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओ का भौतिक निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फेज प्रथम से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई जिसका सुसंगत मानको के परिप्रेक्ष्य मे मेरे द्वारा परिशीलन कियागया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क– भवन की संरचनाः–

1– कुल भूखण्ड एरिया–20000.00 वर्गमीटर ।

क0सं0	नाम टावर	तलो का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया	टिपिकल कवर्ड एरिया	ऊँचाई
1	टावर –03	2 बेसमेन्ट+भूतल + 13तल	522.009 वर्गमीटर	522.009 वर्गमीटर	45.00मीटर
2	टावर– 04	2 बेसमेन्ट+ भूतल + 18तल	571.692 वर्गमीटर	565.030 वर्गमीटर	59.00मीटर
3	टावर –05	2 बेसमेन्ट+ भूतल + 13तल	522.009 वर्गमीटर	522.009 वर्गमीटर	55.00मीटर

अपर बेसमेन्ट– 4921.488 वर्गमीटर

लोअर बेसमेन्ट– 4921488 वर्गमीटर

ख– भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड विवरणः–प्रश्नगत भवन का अधिभोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट –4 मे श्रेणी ए–4 के अन्तर्गत वर्गीकृत है ।

ग–ढांचागत व्यवस्थाः–

1– पहुँच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रो के अनुसार 30 मीटर रोड उपलब्ध है।

2– प्रवेश द्वार :– प्रश्नगत भवन मे प्रवेश द्वार की चौडाई 6.00 मीटर है।

3–सैटबैकः– प्रश्नगत भवन सामने 15 मीटर पृष्ठ भाग 09 मीटर व पार्श्व भाग–09–09 मीटर सैटबैक उपलब्ध है जिसमे भवन के चारो तरफ 06 मीटर हार्ड सरफेस मोटरेबुल सैंटबैक उपलब्ध है सैटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई /अस्थाई निर्माण मान्य नही होगा ।

3–निकास मार्गः–प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेस उपलब्ध है। जिसकी चौडाई 1.5 व 1.25 मीटर है। तथा समस्त स्थानो से ट्रवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

4– रिफ्यूज एरियाः–प्रश्नगत भवन मे बालकनी निर्मित हैं।

घ– अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित हैं।

1–होजरील / डाउनकमर :– प्रश्नगत भवन मे होजरील,डाउनकमर लैण्डिंग वाल्व,होज केबिनेट मानको के अनुसार स्थापित है।

2–टैरेस टैंकः–प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक के टेरेस पर 10000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक स्थापित है।

3– भूमिगत टैंकः– प्रश्नगत भवन मे भूमिगत टैंक 100000 लीटर क्षमता का स्थापित एवं कार्यशील दशा मे है।

4– फायर पम्पः– प्रश्नगत भवन मे भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0क्षमता के 02 अदद विद्युत चालित फायर पम्प व 2280 एल0पी0एम0क्षमता के एक अदद डीजल चालित फायर पम्प व 180 एल0पी0एम0क्षमता के 01 अदद जॉकी पम्प स्थापित व कार्यशील दशा मे है।

5– वेटराइजरः– प्रश्नगत भवन मे वेटराइजर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित है।

6– मैन्युअली ऑपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–प्रश्नगत भवन मे मैन्युअली ऑपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम स्थापित एवं कार्यशील दशा मे है।

7– ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– प्रश्नगत भवन के समस्त टावरो के प्रत्येक तलो पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित एवं कार्यशील दशा मे है।

8– स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टमः– प्रश्नगत भवन का बेसमेन्ट स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम स्थापित है।

9– **यार्ड हाइड्रेन्ट:**– प्रश्नगत भवन के चारो तरफ एन0बी0सी0मानको के अनुरूप यार्ड हाइड्रेन्टस कार्यशील दशा मे है।

10–**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्युशर्स)**:–प्रश्नगत भवन मे फायर एक्सटिंग्युशर्स आई0एस0–2190 के अनुसार स्थापित है।

11– **एग्जिट साइनेज:**– प्रश्नगत भवन के समस्त तलो पर एग्जिट साइनेज स्थापित है।

12– **पी0ए0सिस्टम:**– प्रश्नगत भवन मे पी0ए0सिस्टम स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओ के आधार पर अधिभोग हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है।

1– भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ को सदेव कार्यशील दशा मे बनाये रखने के लिए इसका मेन्टीनेन्स शेडयूल बनाया जाये तथा शेडयूल सिस्टम को कार्यशील दशा मे रखा जाये।

2– भवन मे स्थापित अग्नि शमन व्यस्थाओ मे किसी प्रकार की त्रुटि आने पर तत्काल नजदीकी अग्निशमन केन्द्र को सूचित किया जाये तथा त्रुटि को तत्काल ठीक कराया जाये।

3– प्रत्येक छः माह मे भवन मे कार्यरत सभी कर्मियो को मॉक ड्रिल /इमरजैंसी एवेक्युएशन ड्रिल कराई जाये ताकि किसी भी आपात स्थिति मे सभी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके ।

4– वर्ष मे एक बार अग्नि शमन विभाग से भवन मे जीवन रक्षा फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

5– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा उदासीनता के कारण अकार्यशील दशा मे पाये जाने पर उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।

(सुनील कुमार सिंह) 8/16
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपिः 1–अग्निशमन अधिकारी नोएडा फेज प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2–प्रबन्धक मैसर्स एम्स आर0जी0एन्जल प्रमोटर्स प्रा0लि0 भवन द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–03,सैक्टर–75,नोएडा,जनपद–गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ प्रेषित।